मेनका मलिक और अन्य

बनाम

पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य

28 अगस्त, 2018

[एन 0 वी0 रमना और मोहन एम 0 शांतनागौदर, न्यायमूर्तिगण]

– दंड संहिता, 1860: धारा 147 , 148 , 149 , 342 , 448 , 325 , 326 , 436 , 379 , 307 और 303–राजनीतिक प्रतिद्विन्दता–भीड़ का हमला–धारदार और नुकीले हथियार का उपयोग– 5 लोगों की मौत और गंभीर कई व्यक्तियों को चोटें–अभियोजन का मामला यह था कि अपराधी पक्ष इलाके के घरों में घुस गया, घर को नष्ट कर दिया, कीमती सामान चुरा लिया और घरों में आग लगा दी और उसके बाद शिकायतकर्ता पक्ष के सदस्यों पर हमला किया जिसके कारण 5 व्यक्तियों की मौत हो गई और 24 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए–संदेह के लाभ पर विचारण न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया।

उच्च न्यायालय ने बरी करने के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाई–शिकायतकर्ता का दोषमुक्ति किए जाने के खिलाफ अपील–आयोजितः अदालतों का यह अवलोकन कि भगदड़ में चोटें आई होंगी, विश्वसनीय नहीं है क्योंकि कथित भगदड़ में लोगों के केवल एक समूह के घायल होने का कोई कारण नहीं था–विरोधाभास और सुधार मामूली प्रकृति में थे–चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य में कुछ मामूली बदलाव होना स्वाभाविक है– जब बड़ी संख्या में लोग एक छोटे समूह पर हमला करने के लिए एकत्र हुए थे।

– ऐसे परिदृश्य में, प्रत्येक अभियुक्त की सभी कार्रवाइयों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना संभव नहीं है–इन गवाहों का संपूर्ण साक्ष्य, प्रथम दृष्टया, अखंडित प्रतीत होता है।

अतिशयोक्ति, सुधार और अलंकरण पूरे अभियोजन पक्ष की कहानी को संदिग्ध नहीं बना देगा– प्रकरण में 24 घायल चश्मदीद गवाह थे और उनकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। मौके पर गवाहों की मौजूदगी भी नहीं थी प्रतिपरीक्षण के दौरान बचाव पक्ष द्वारा गंभीर रूप से संदेह किया गया–इस स्थिति में, उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित करने में अपने न्यायिक दिमाग को लागू नहीं किया कि क्या विचारण न्यायालय का निर्णय विकृत था क्योंकि पूरे साक्ष्य को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि कुछ गवाहों ने न्यायालय के समक्ष पहली बार गवाही दी थी–उच्च न्यायालय ने भी इस पर विचार नहीं किया।

हत्या के अलावा अन्य आरोपों से संबंधित साक्ष्य–हालाँकि, घरों को जलाने, गैरकानूनी सभा आदि, जैसे प्रश्नों पर आरोप तय किए गए थे। इन प्रश्नों पर साक्ष्य पूरी तरह से अनदेखी की गई थी और विचारण न्यायालय द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया और साथ ही उच्च न्यायालय– इस प्रकार स्थापित सिद्धांतों के अनुसार उच्च न्यायालय अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा।

पुनरीक्षण याचिका पर गुण–दोष पर विधि अनुसार निर्णय लेने के लिए मामला, उच्च न्यायालय को प्रेषित किया गया।

पुनरीक्षणः पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग–जहाँ भौतिक साक्ष्य की या तो विचारण न्यायालय द्वारा या अपीलीय न्यायालय द्वारा अनदेखी की गई थी या आदेश अप्रासंगिक साक्ष्य पर

विचार करके आदेश पारित किया जाता है, पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। – दंड संहिता, 1860।

साक्ष्यः साक्ष्य में अलंकरण या अतिशयोक्ति, – साक्षी के साक्ष्य का मूल्य–आयोजितः साक्षी की साक्ष्य केवल अलंकरण या अतिशयोक्ति उपस्थिति के कारण साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है– फाल्सस इन उनो, फाल्सस इन ओमनिबस, का सिद्धांत. जिसका अर्थ है "एक चीज में झूठ, हर चीज में झूठ।" सब कुछ भारतीय परिदृश्य में लागू नहीं होता है, जहां बढ़ा–चढ़ाकर कहने की आम प्रवृत्ति है। बड़ी संख्या में अपराधियों से जुड़े मामलों में और पीड़ितों की एक बड़ी संख्या, केवल दो या तीन गवाहों का साक्ष्य जो घटना का एक सुसंगत विवरण देते हैं, उन्हें बनाए रखने के लिए पर्याप्त दृढ़ विश्वास है।

साक्ष्य: बड़ी संख्या में अपराधियों से जुड़े मामलों में और पीड़ितों की एक बड़ी संख्या, केवल दो या तीन गवाहों की गवाही जो घटना का सुसंगत विवरण देते हैं वह दोषसिद्ध कायम रखने के लिए पर्याप्त है।

प्रमाणः नेत्र और चिकित्सा साक्ष्य–के बीच संघर्ष – नेत्र संबंधी गवाही और चिकित्सा साक्ष्य– चिकित्सा साक्ष्य गवाहों की नेत्र संबंधी गवाही के साक्ष्य को अवहेलना नहीं कर सकते हैं। नेत्र संबंधी साक्ष्य प्रबल होगी–जहाँ चश्मदीद गवाह का विवरण है भरोसेमंद और विश्वसनीय पाए जाने पर, वैकल्पिक संभावनाओं की ओर इशारा करने वाली चिकित्सा राय को निर्णायक के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है।

भारत का संविधानः अनुच्छेद 136–का दायरा–आयोजितः धारा 401 (3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निहित प्रतिबंध। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय की शक्तियों को प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 401 (3)।

न्यायालय द्वारा अपील को अनुमति देते हुए,

निष्कर्ष:–

1. यह सर्वोच्च न्यायालय के लिए पूरी सामग्री की समीक्षा करने के लिए खुला है और इसके तहत इसके अधिकार क्षेत्र पर कोई सीमा नहीं है। अनुच्छेद 136 एक न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए यदि यह निर्धारित करता है कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण उचित नहीं था। प्रतिबंध के रूप में उच्च न्यायालय धारा 401 (3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निहित संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। [पैरा 10] [716–बी–सी]

धर्म बनाम निर्मल सिंह 1996 ए.आई.आर. एससी 1136: [1996] 2 एस. सी. आर. 115; राजस्थान राज्य बनाम इस्लाम (2011) 6 एससीसी 343: [2011] 6 एससीआर 988–पर निर्भर था।

2. बड़ी संख्या में अपराधियों और बड़ी संख्या में पीड़ितों से जुड़े मामलों में, केवल दो या तीन का साक्ष्य जो गवाह घटना का एक सुसंगत विवरण देते हैं, वे दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त हैं। अ.सा–5, 7 और 14 की गवाही से पता चलता है कि उनकी गवाही में कोई महत्वपूर्ण भिन्नता या बड़ा विरोधाभास नहीं था। बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान मौके पर साक्षियों की उपस्थिति पर गंभीरता से संदेह नहीं किया गया था। न्यायालय को साक्षियों से तोते की तरह गवाही देने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हालाँकि, इन साक्षियों के संपूर्ण साक्ष्य, प्रथम दृष्टया, अखंडित

प्रतीत होते हैं। यह भी स्पष्ट है कि ये भौतिक तथ्यों के अनुरूप साक्ष्य थी, जैसे कि घटना के दिन, सीपीआई (एम) कार्यकर्ताओं ने आई. पी. एफ. कार्यकर्ताओं को धमकी दी, जो अ.सा–2 के घर में छिप गए थे। इसके बाद, सीपीआई (एम) कार्यकर्ताओं की एक भीड़ घर के बाहर जमा हो गई, जिसमें छिपे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए आग लगा दी गई। जब उन्होंने अ.सा–9 के घर में छिपने की कोशिश की, तो वह घर था आग भी लगा दी। अंत में, आई. पी. एफ. समर्थक भाग गए, जिस समय सी. पी. आई. (एम) के लोगों ने उन पर हमला किया। सभी साक्षी प्रत्येक विवरण पर सुसंगत नहीं हो सकते हैं, जैसे कि किसने घर में आग लगाई और किसने किसे किस हथियार से मारा, आदि। यह सच हो सकता है कि उनके कथनों में मृतक के लिंग की विकृति जैसी अतिशयोक्ति पाई गई है, जो चिकित्सा जांच में बरकरार पाई गई थी। हालाँकि, इस तरह के अलंकरण और विसंगतियाँ मामले की जड़ तक नहीं जाती हैं। भूसी को अनाज से अलग करना न्यायालय का कर्तव्य है। प्रकरण मे 24 घायल चश्मदीद गवाह और उनकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। [पैरा 11,12,13,16,17] [716–एफ–जी; 718–जी–एच; 719–ए, बी–ई]

> मसाल्टी वी वि. उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 202: [1964] एस. सी. आर. 133; निसार अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर 1957 एस. सी 366, उग्र अहीर बनाम बिहार राज्य ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 277; सुच्चा सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2003) 7 एससीसी 643: [2003] 2 पूरक। एस. सी. आर. 35; नारायण बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2004) 2 एस. सी. सी. 455 [2004] 2 एस. सी. आर. 82; कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, (2018) 6 एस. सी. सी. 433; कृष्णा मोची बनाम बिहार राज्य (2002) 6 एस. सी. सी. 81: [2002] 3 एस. सी. आर. 1; रणजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974) 4 एस. सी. सी. 752; पंजाब राज्य बनाम हरि सिंह (1974) 4 एस. सी. सी. 552–पर भरोसा किया।

3.1 हालाँकि, आरोप घरों को जलाने, गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने आदि जैसे प्रश्नों पर बनाए गए थे, इन प्रश्नों पर साक्ष्य की पूरी तरह से अनदेखी की गई थी और विचारण न्यायालय के साथ–साथ उच्च न्यायालय द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया था। विचारण न्यायालय ने घरों को जलाने से संबंधित पूरे साक्ष्य की अनदेखी की है, केवल इस आधार पर कि जली हुई वस्तुओं को अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया था। दूसरी ओर, जली हुई वस्तुओं को जब्त कर लिया गया और अदालत के समक्ष पेश किया गया। [पैरा 18] [722–सी–डी]

3.2 जहाँ तक गैरकानूनी सभा के मुद्दे और गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य का संबंध है, न्यायालय आम तौर पर अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर उन पहलुओं का निर्धारण कर सकता है। इस मामले में 36 चश्मदीद गवाह उपलब्ध थे। अभियोजन के मामले के अनुसार, सभी आरोपी एक समूह में अ.सा–2 और अ.सा–9 के घर आए थे और जान बूझकर उनके घर को जलाया और आईपीएफ पार्टी के लोग उन घरों के बाहर इकट्ठा हो गये– न्यायालय, प्रथम दृष्टया साक्ष्यों को देखते हुए गैर कानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य की कल्पना कर सकता है। अभियोजन को अपने मामले साबित करने के लिए गैरकानूनी सभा और सामान्य उद्देश्य के संबंध में अलग–अलग साक्ष्य का नेतृत्व करना पड़ेगा । अगर वे कारक अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर पता लगाया जा सकता है, तो न्यायालयों को इसकी अनदेखी किये जाने का कोई कारण नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार न करना, एक गंभीर और महत्वपूर्ण चरित्र के अन्याय का कारण

बना है, जो इस न्यायालय के हस्तक्षेप की गारंटी देता है और पुनः सुनवाई के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेजा गया। नेत्र संबंधी साक्ष्य और चिकित्सा संबंधी साक्ष्य के बीच विरोधाभासी साक्ष्यों के अनुसार, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है कि धारदार हथियारों के साथ हमला करते समय लाठियों का भी इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा, यह अब अच्छी तरह से तय हो गया है कि चिकित्सा साक्ष्य साक्षियों की नेत्र संबंधी साक्षियों के साक्ष्य को अवहेलना नहीं कर सकते हैं। [पैरा 19,20,21] [722–ई–एच; 723–सी]

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कृष्ण गोपाल (1988) 4 एस. सी. सी. 303: [1988] 2 पूरक। एस. सी. आर. 391–निर्भर।

4. विचारण न्यायालय या अपीलीय न्यायालय द्वारा जहाँ भौतिक साक्ष्य की अनदेखी की गई थी या अप्रासंगिक साक्ष्य पर विचार करके आदेश पारित किया जाता है, पुनरीक्षण संबंधी अधिकारिता का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। इस मामले में, निचली अदालत द्वारा भौतिक साक्ष्य की अनदेखी की गई और उच्च न्यायालय यह टिप्पणी करने में गलत था कि साक्षियों ने पहली बार अदालत के समक्ष साक्ष्य दी, पांच लोगों की मौत हो गई। न्यायालयों ने कहा कि चोटें भगदड़ में लगी होंगी। कथित भगदड़ मे केवल एक समूह के ही लोग ऐसा क्यों करेंगे, कथित भगदड़ में चोट लगना, यदि कोई हो, इसका कोई कारण नहीं है। इस प्रकार, अभिलेख पर साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भगदड़ का सिद्धांत भी प्रथम दृष्टया उत्तरवादी के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता है। [पैरा 24] [724–जी–एच; 725–ए, बी–सी]

शीतला प्रसाद बनाम श्री कांत (2010) 2 एससीसी 190:
[2009] 16 एससीआर 686–पर निर्भर।

कानून संदर्भ मामला

[1996] 2 एससीआर 115 पैरा 8 पर भरोसा करें
[2011] 6 एससीआर 988 पैरा 9 पर भरोसा करें
[1964] एससीआर 133 पैरा 11 पर भरोसा करें
[1957] एससीआर 657 पैरा 14 पर भरोसा करें
[1965] एससी 277 पैरा 14 पर भरोसा करें
[2004] 2 एससीआर 82 पैरा 14 पर भरोसा करें
[2018] 6 एस. सी. सी. 433 पैरा 14 पर भरोसा करें
[2002] 3 एससीआर 1 पैरा 14 पर भरोसा करें
[1974] 4 एस. सी. सी. 552 पैरा 15 पर भरोसा करें
[1974] 4 एस. सी. सी. 752 पैरा 15 पर भरोसा करें
[1988] 2 एस. सी. आर. पैरा 21 पर भरोसा करें
[2009] 16 एससीआर 686 पैरा 23 पर भरोसा करें

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील क्रॅ. 1198/2006 उच्च न्यायालय कलकत्ता के सी. आर. आर. सं. 765/2002 में निर्णय और आदेश 30.06.2004 से

अनिल नौरिया, सुश्री सुमिता हजारिका, दिबाकर भट्टाचार्य, सुश्री इप्सिता बेहुरा, ज्योतिर्मय

अधिकारी, बृज भूषण, सुश्री पंखुड़ी श्रीवास्तव, रुपेश कुमार, सुहान मुखर्जी, सुश्री आस्था शर्मा, अमित वर्मा, सुश्री काजल दलाल (मेसर्स के लिए)। पी. एल. आर. चैम्बर्स एंड कंपनी), अधिवक्ता, उपस्थित पक्षकारों के लिए।

मोहन एम. शांतनागौदर, जे. द्वारा न्यायालय का निर्णय दिया गया था

1 यह त्वरित अपील कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा सी. आर. आर. सं. 765/2002 मे पारित निर्णय और आदेश दिनांक 30 जून, 2004 से उत्पन्न हुई है, जो विशाल आनंद द्वारा हस्ताक्षरित, डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित नही है बर्दवान सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र वाद क्रॅ. 91/1998 (सत्र प्रकरण क्रॅ. 10(7)/2000) में दिनांक 15 दिसंबर, 2001 को पारित दोषमुक्ति के निर्णय की पुष्टि करता है।

2. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि 30.05.1993 को करंडा गाँव में पंचायत चुनाव हुए, जिसमें सीपीआई (एम) पार्टी जीत और आई. पी. एफ. पार्टी हार गई। अगले दिन, यानी 31.05.1993 को, लगभग 8.30 सुबह, आई. पी. एफ. पार्टी के 15 से 16 सदस्यों ने कुछ सी. पी. आई. (एम) कार्यकर्ताओं द्वारा पीछा किए जाने पर उनके पार्टी नेता अ.सा–2, बादल मलिक के घर मे शरण ली। दोपहर लगभग 1.30 बजे, भानु हाथी, काछी हाथी और भालुक हाथी (आरोपी क्रॅ.56/उत्तरवादी क्रॅ.57) ने एक आई. पी. एफ. समर्थक अ.सा–30 सुनील पाकरे की पत्नी अ.सा–3 श्यामली पाकरे, को गाली देना/दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिसका विरोध करने पर, सी. पी. आई. (एम) के लोगों ने लगभग 250–300 पार्टी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया, सभी लाठी, बालम, तांगी आदि हथियारों से लैस थे। अभियोजन पक्ष का आगे प्रकरण यह भी है कि सीपीआई (एम) पार्टी से संबंधित व्यक्तियों/जुड़े लोगों ने पार्टी नेता बादल मलिक सहित आई. पी. एफ. सदस्यों के घरों में आग लगा दी, आईपीएफ सदस्यों पर हमला किया और इलाके के घरों में तोड़–फोड़ की और घरेलू सामान को नष्ट कर दिया, इसके अलावा 700 रुपये की राशि चुरा ली और एक जोड़ी सोने की बालियां छीन लीं। आईपीएफ सदस्यों पर हमले में पांच लोगों की मौत हो गई और 24 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

3. मेमारी पुलिस स्टेशन, बर्दवान जिले के समक्ष प्रथम सूचना मेनोका मलिक (अ.सा–1/अपीलार्थी क्रॅ.1) द्वारा दर्ज कराई गई, जो धारा 147, 148, 149, 342, 448, 325, 326, 436, 379, 307 और धारा 303 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्रकरण क्रॅ. 82/1993 दिनांक 31.05.1993 को दर्ज किया गया था।

4. उपरोक्त अपराधों के लिए आरोप तय किए गए थे। 82 अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा 49 गवाहों का परीक्षण कराया गया, जिसमें 36 चश्मदीद गवाह शामिल थे, यानी अ.सा–1–23, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45 और 47। इनमें से, अ.सा–17 और 18 की गवाही अभियोजन के मामले के विपरीत थी, और अ.सा–42 ने मानसिक बीमारी के कारण हुई घटना को याद न कर सकने का दावा किया।

5. विचारण न्यायालय ने शुरुआत में यह निर्धारित करते हुए कि 82 अभियुक्तों में से केवल 32 व्यक्तियों के खिलाफ ठोस आरोप थे और केवल उन 32 व्यक्तियों के खिलाफ सबूतों की जांच की गई। अभिलेख पर मौजूद सामग्री के मूल्यांकन पर, विचारण न्यायालय ने सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि अभियोजन पक्ष ने धारदार और नुकीले हथियारों के उपयोग से पांच लोगों की मौत को स्थापित करने की मांग की थी, लेकिन इस तरह के तथ्य को प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपित नहीं किया गया

था और केवल हमले के कारण दो लोगों की मौत दो व्यक्तियों की मौत की सूचना दी गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में हमलावरों के नामों का खुलासा नहीं किया गया था; कई गवाहों ने कथन दर्ज करते समय न्यायालय के समक्ष पहली बार आरोपों का खुलासा किया जाना स्वीकार किया था। जांच अधिकारी के साक्ष्य ने चश्मदीद साक्षियों के साक्ष्य में कई विरोधाभासों का खुलासा किया; जले हुए सामान आदि की बरामदगी नहीं हुई थी। विचारण न्यायालय द्वारा यह भी अवधारित किया गया था कि मेडिकल साक्ष्य चश्मदीद साक्षियों के साक्ष्य के विपरीत थे, क्योंकि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घायलों की मेडिकल रिपोर्ट में चीरे या पंक्चर वाले घावों/कटे हुए या छेदे हुए घाव की अनुपस्थिति दिखाई गई थी। जैसा कि अभियोजन साक्षियों ने कहा था कि मृतक और घायल पर टांगी, बल्लम, केंचा आदि जैसे तेज हथियारों से हमला किया गया था। विचारण न्यायालय के अनुसार, मृतक के साथ–साथ घायल व्यक्तियों पर पाए गए चोट खरोंच और घावों की प्रकृति भगदड़ के कारण हुए होंगे। इनके अलावा, विचारण न्यायालय ने अन्य आधारों पर भी आरोपियों को बरी कर दिया।

6. राज्य ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित फैसले और बरी करने के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की। हालांकि, पहले सूचना देने वाले ने तीन अन्य लोगों के साथ उच्च न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के तहत पुनरीक्षण याचिका दायर की। पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई के दौरान, पुनरीक्षण याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि 82 आरोपियों में से 48 के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है और पुनरीक्षण याचिका का संबंध केवल बाकी 34 अभियुक्तों से होगा। इस स्तर यह ध्यान दिया जा सकता है कि हमारे सामने बहस के दौरान, यह हमारे संज्ञान में लाया गया था कि इन 34 अभियुक्तों में से 6 की अब मृत्यु हो चुकी है।

7. उच्च न्यायालय ने पाया कि विचारण न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप की आवश्यकता के लिए कानून में कोई विकृति या गंभीर प्रक्रियात्मक दोष या त्रुटि नहीं थी, जिससे घोर अन्याय हुआ हो। हालाँकि उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिकाकर्ताओं द्वारा कई तर्क उठाए गए थे, उच्च न्यायालय केवल उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर पुनरीक्षण याचिका पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ा। एकमात्र अन्य निष्कर्ष यह था कि मामले को वापस लेने के लिए पर्याप्त कारण नहीं था, अपीलार्थियों द्वारा सुझाए गए तरीके से विचारण न्यायालय द्वारा गैरकानूनी सभा के मुद्दे का गैर–निर्धारण नहीं किया गया था। यह इस तर्क पर आधारित था कि उच्च न्यायालय चाहता है कि विचारण न्यायालय एक विशेष निष्कर्ष पर पहुंचे, साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन का निर्देश विचारण न्यायाधीश के मन में एक अचेतन धारणा पैदा करेगा और इस मुद्दे को दी गई स्थिति में भी जटिल बना देगा। जहां बड़ी संख्या में व्यक्ति शामिल थे लेकिन उनमें से अधिकांश के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं था। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि विचारण न्यायालय कानून के निर्धारित नियमों के अनुसार, अभिलेख पर साक्ष्य के संभावित मूल्य पर विचार करने और उसकी सावधानीपूर्वक जांच करने पर बरी होने के निष्कर्ष पर पहुंच गई थी। उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियों से संबंधित कुछ सामान्य टिप्पणियों को अपने निष्कर्ष पर पहुंचते समय ध्यान किया गया था। प्रथम दृष्टया यह पता लगाने के लिए कि क्या विचारण न्यायालय का तर्क न्यायसंगत और उचित है या नहीं, उच्च न्यायालय ने व्यावहारिक रूप से, अभियोजन पक्ष के मामले को गुण–दोष के आधार पर नहीं छुआ है।

प्रारंभिक मुद्दाः

8. हमने दोनों तरफ के विद्वान वकील को सुना है। आगे बढ़ने के पहले, हम उस प्रारंभिक प्रश्न का निर्णय करना चाहेंगे जो इस न्यायालय द्वारा अपनी पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी

दोषसिद्धि की पुष्टि करने वाले फैसले में हस्तक्षेप की गुंजाइश के संबंध में उत्पन्न हुआ था। अब यह प्रश्न अनिर्णीत विषय नही रह गया है, क्योंकि इस न्यायालय ने **धर्मा बनाम निर्मल सिंह (1996) 7 एस. सी. सी. 471** के मामले में निर्णय दिया है कि धारा 401 (3) के तहत प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करता है। ऐसा निष्कर्ष निकालते समय, निम्नलिखित टिप्पणियां की गईं:

> " 4. इससे पहले कि हम मामले में प्रस्तुत साक्ष्य के अपने पठन को दर्ज करें, प्रत्यर्थी–अभियुक्त की ओर से उपस्थित श्री ललित द्वारा प्रस्तुत कानूनी दलीलों पर विचार किया जाए। उनका निवेदन है कि चूँकि शिकायतकर्ता ने पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और धारा 401 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उच्च न्यायालय को उपलब्ध पुनरीक्षण शक्ति के तहत, उच्च न्यायालय दोषमुक्ति के निष्कर्ष को दोषसिद्धि में परिवर्तित नहीं कर सकता था, इसकी उप–धारा (3) में कहा गया है, यदि हमें इस बात से संतुष्ट होना हैं कि बरी करना गलत था, तो उत्तरवादी को दोषी ठहराने यह हमारे क्षमता के भीतर नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मामले को दोबारा सुनवाई के लिए भेजे जा सकने के लिये सबसे अच्छा मामला हो सकता है। हम इस निवेदन से प्रभावित नहीं हैं क्योंकि इस न्यायालय का दृष्टिकोण संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत है। हम उपरोक्त प्रावधान के तहत हमें उपलब्ध शक्ति के संबंध में संहिता की धारा 401 (3) द्वारा लगाई गई उस सीमा को नहीं पढ़ते हैं। यह इंगित किया जा सकता है कि. **ई. के चंद्रसेनन बनाम केरल राज्य [(1995) 2 एससीसी 99: 1995 एससीसी (क्रि) 329: जे. टी. (1995) 1 एस. सी. 496]** के मामले में भी श्री ललित ने इसी तरह का अनुरोध किया था।, तब यह तर्क देते हुए कि यह न्यायालय वृद्धि का नियम जारी करने में अक्षम है जैसा कि उन मामलों में किया गया था । उपरोक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय के लिए उपलब्ध शक्ति किसी भी सीमा से सीमित नहीं है। किसी भी मामले में, अनुच्छेद 142 के तहत ऐसा आदेश पारित करने की शक्ति उपलब्ध है जो पूर्ण न्याय करने के लिए उचित समझा जाए। इसलिए हम श्री ललित के इस तर्क को अस्वीकार करते हैं और यह पता लगाने के लिए सामग्री की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या अपीलार्थी के तर्क अनुसार दोषसिद्धि का मामला मौजूद है या नहीं।

9. **राजस्थान राज्य बनाम इस्लाम, (2011) 6 एस. सी. सी. 343** के मामले में, इस न्यायालय ने धर्मा के मामले में पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि यदि इस न्यायालय की राय है कि बरी करना एक उचित दृष्टिकोण पर आधारित नहीं है, तो वह संपूर्ण सामग्री की समीक्षा कर सकता है और दोषमुक्ति को रद्द करने के उचित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर कोई सीमा नहीं होगी।

10. उपरोक्त निर्णयों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अनुच्छेद 136 के तहत यह न्यायालय संपूर्ण सामग्री की समीक्षा करने के लिए खुला है और इसकी कोई सीमा नहीं है। यदि यह निर्धारित करता है कि उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण उचित नहीं था। यह यह प्रतिबंध सीआपीसी की धारा 401(3) के तहत निहित है। उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय की शक्तियों को प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। इस प्रकार, यह हमे निर्धारित करना है कि उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण उचित था या नहीं।

मुख्य मुद्दा:

11. विचारण न्यायालय ने अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हुए पाया कि कई चश्मदीद साक्षियों ने पहली बार विचारण न्यायालय के समक्ष भौतिक तथ्यों का खुलासा किया था, क्योंकि न्यायालय के समक्ष साक्षियों के ऐसे बयान भौतिक सुधार हैं ; जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों के समक्ष साक्षियों द्वारा ऐसे बयान नहीं दिए गए थे और कानून के अनुसार चूक साबित होती है।

हालाँकि, हमने प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की स्थिरता/असंगतता के संबंध में अपनी अंतरात्मा को संतुष्ट करने का प्रयास किया है। इस संबंध में, हमने अभियोजन साक्ष्य की गवाही का अध्ययन किया है। चूंकि हम सभी अभियोजन साक्ष्य की गवाही पर चर्चा करके इस निर्णय पर बोझ नहीं डालना चाहते हैं, हम उदाहरण के तौर पर अ.सा–5, 7 और 14 की साक्ष्य पर फिर से विचार करना चाहेंगे। इसके अलावा, हम इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हैं कि इस प्रकृति के मामलों में बड़ी संख्या में अपराधियों और बड़ी संख्या में पीड़ितों को शामिल करते हुए, केवल दो या तीन साक्षियों के साक्ष्य जो एक घटना का सुसंगत विवरण देते हैं, दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है, जैसा कि **मसाल्टी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 202** के मामले में इस न्यायालय द्वारा देखा गया था।

अ.सा.5, अन्ना पाकरे ने बताया कि घटना के दिन, कुछ सीपीआई (एम) कार्यकर्ताओं द्वारा धमकी दिए जाने पर कुछ आईपीएफ कार्यकर्ताओं ने अ.सा–2, बादल मलिक के घर में शरण ली थी। कुछ समय बाद, हरिगोपाल गोस्वामी (ए–80/आर–81), राम ताह ताह (ए 68/आर 69 यहां) और सत्या चक्रवर्ती (ए 71/आर 72 यहां) सहित लगभग 200–250 सीपीआई (एम) कार्यकर्ता घर के चारों ओर इकट्ठे हो गए, और अंदर मौजूद लोगों को गालियां देने लगे। . सीपीआई (एम) कार्यकर्ताओं ने भानु हती (मृतक के रूप में आरोपी के रूप में आरोपपत्रित) को घर में आग लगाने के लिए कहा, जिस पर छुपे हुए लोग भाग गए और अ.सा–9, मंटू मल के घर में शरण ली, जिसे एक ने आग लगा दी थी कच्ची हाती (यहां कार्तिक हाजरा, ए 28/आर 29 का संदर्भ)। इसके बाद आईपीएफ कर्मी एक कमरे से दूसरे कमरे में भागने लगे। अ.सा–5 का पति दिलीप पाकरे (मृतक), घर से बाहर आया, जिस समय जितेन कोरा (ए 1/आर 2 यहां), केना कोरा (ए 7/आर 8), भोला मुखर्जी (ए 77/आर 78) और सीताराम मकर (ए 70/आर 71) ने उस पर टांगी, बोगी और कैंचा जैसे घातक हथियार के साथ हमला किया। दिलीप पाकरे को रणब बाउरी (ए–40/आर–41) ने बल्लम से मारा. शक्ति गाडी (ए–15/आर–16 यहां) ने उसके मुँह में पेशाब कर दिया. इस समय, अ.सा– 5 बेहोश हो गया। होश में आने के बाद, वह अपने बच्चों की तलाश में इधर–उधर गई और राधी कोरा (ए 8/आर 9) ने उस पर शॉल से हमला किया और सैन्टाना माझी (यहां सनातन मंडी, ए 44/आर 45 का संदर्भ) ने बांस की लाठी से उस पर हमला किया। अ.सा– ने आगे कहा कि माणिक हाजरा (मृतक) पर सुदेब हाती (यहां सुदेब हाजरा, A30/A31 का संदर्भ) द्वारा हमला किया गया था, और राजीव कोरा ने माणिक हाजरा का लिंग काट दिया था।

अ.सा–7, नेमाई हाजरा एक घायल गवाह है। उन्होंने बताया कि घटना के दिन, सीपीआई (एम) कार्यकर्ताओं द्वारा धमकी दिए जाने पर, वह, उनके बड़े भाई माणिक हाजरा (मृतक), अ.सा–10, उत्तम हाजरा, अ.सा–33, उदय हाजरा, एक मदन हाजरा (अ.सा–43, मदाऊ हाजरा का जिक्र करते हुए) हाजरा) और नारायण हाजरा (अ.सा–39, हरयान हाजरा का जिक्र करते हुए) ने अ.सा–2 बादल मलिक के घर में शरण ली। सुबह करीब 11–11.30 बजे करीब 100–150 लोग लाठी–डंडों, सबोल, टांगी आदि से लैस होकर पास में जमा हो गये, जिस पर बादल मलिक घर से निकल गये और वापस नहीं आये. जल्द ही, बाहर की भीड़ ने घर को घेर लिया

और घर पर पत्थर, ईंटें आदि फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद, उन्होंने छिपे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए घर में आग लगा दी, जिस पर अंदर छिपे लोगों ने अ.सा–9 मंटू मल के घर में शरण ली। इस घर में भी आग लगा दी गई, हालाँकि अ.सा–7 ने अपराधी को नहीं देखा। जैसे ही छुपे हुए लोग बाहर आये, उन पर हमला होने लगा. अ.सा–7 ने सुदेब हाजरा (ए 30/आर 31 यहां) पर टांगी से, जयदेब हाजरा (ए 29/आर 30 यहां) ने लोहे की रॉड से, सीताराम मकर (ए 70/आर 71 यहां) ने लाठी से, साधन सम (ए 78/आर 79 यहां) ने लाठी से और बेचा डुले द्वारा ने भी हमला किया(यहां ए 67/आर 68)।

अपनी प्रतिपरीक्षा में, अ.सा– 7 ने कहा कि उसे घटना के लिये किसी उकसावे की जानकारी नही है। उन्होंने यह भी कहा कि बादल मलिक के घर के अंदर लगभग 40–50 लोग छिपे हुए थे। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें भीड़ द्वारा बुरी तरह पीटा गया था, और उन्हें 8–10 लाठियां मारीं, एक रॉड मारी, और टांगी, सबोल आदि द्वारा भी हमला किया गया था।

अ.सा–14, सुभद्रा मलिक माणिक हाजरा (मृतक) की माँ हैं। उन्होने बताया कि भानु हती और उसका बेटा भालुक हती (ए 56/आर 57) घर में घुस आए और उसने अपने पिता के निर्देश पर घर में आग लगा दी। इस प्रकार धुंआ निकलने के बाद, छुपे हुए व्यक्तियों ने अ.सा–9 मंटू मल के घर में आश्रय मांगा, जिसे काची हाटी ने आग लगा दी थी (संभवतः कार्तिक हाजरा, ए–28/आर–29 यहाँ, ऊपर देखें)। आई. पी. एफ. के लोग एक–एक करके बाहर आने लगे और मारपीट करने लगे। सीताराम मकर (ए–70/आर–71), अभोय राय (ए–69/आर–70), एक शक्ति दुले, जॉयदेव दुले, जॉयदेव हाटी (जॉयदेब हाजरा, ए–29/आर–30), सुदेब हाटी (सुदेब हाजरा, ए–30/आर–31), एक खुदी ताह, गणेश क्षेत्रपाल (ए–39/आर–40), एक प्रमोद क्षेत्रपाल और एक अंगद क्षेत्रपाल ने ने दिलीप पाकरे पर हमला करने की शुरुआत की।

प्रणब पाकरे नामक व्यक्ति ने उसके पेट में बल्लम से छेद कर लिया। सोना (सोम) कोरा (मृतक) पर सीताराम (ए 70/आर 71 यहां), अभोय रॉय (ए 69/आर 70 यहां), जॉयदेब (ए 20/आर 21 यहां), सुदेब हरि (सुदेब हाजरा, ए 30/आर 31 यहां), जॉयदेब हरि ने हमला किया था। (जॉयदेब हाजरा, ए 29/आर 30 यहां) और अन्य। साधन नायक (मृतक) को अ.सा–9 मंटू मल के घर से बाहर खींच लिया गया और सीताराम (ए 70/आर 71 यहां), अभोय (ए 69/आर 70 यहां) और अन्य द्वारा उन पर हमला किया गया। सुको कोरा (ए 53/आर 54) ने साधन पर कुल्हाड़ी से हमला किया और उसकी हत्या कर दी। माणिक हाजरा (मृतक) पर सीताराम (ए 70/आर 71 यहां) ने बल्लम से और सुदेब हरि (सुदेब हाजरा, ए 30/आर 31 यहां) ने तलवार से हमला किया, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। सुदेब ने उसके मलाशय में तलवार डाल दिया। राजीब कोरा ने बंटी से माणिक का लिंग काट दिया. अ.सा–14 ने आगे बताया कि उस पर सुदेब ताह, केना बागड़ी और अन्य लोगों ने लाठी से हमला किया था, जिसके बाद वह बेहोश हो गई थी। चोटों के कारण वह कई दिनों तक अस्पताल में थीं। अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने कहा कि उसे आईओ को उपरोक्त तथ्य बताना याद नहीं है।

12. हमें इन सभी साक्षियों की साक्ष्य में कोई महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं मिली। कोई बड़ा विरोधाभास या भिन्नता नहीं पाई जाती. प्रतिपरीक्षण के दौरान बचाव पक्ष द्वारा मौके पर गवाहों की मौजूदगी पर कोई गंभीर संदेह नहीं जताया गया। जब बड़ी संख्या में लोग एक छोटे समूह पर हमला करने के लिए एकत्र हुए थे और जिसके परिणामस्वरूप पांच लोगों की मौत हो गई और 24 लोग घायल हो गए, तो प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य में कुछ मामूली बदलाव होना स्वाभाविक है। ऐसे परिदृश्य

में प्रत्येक आरोपी की सभी गतिविधियों का सूक्ष्मता से निरीक्षण करना संभव नहीं हो पाता। न्यायालय को भी गवाहों से तोते की तरह गवाही देने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हालाँकि, इन गवाहों के समग्र साक्ष्य प्रथम दृष्टया अखंडित प्रतीत होते हैं।

13. यह भी स्पष्ट है कि उपरोक्त साक्ष्य भौतिक तथ्यों पर सुसंगत हैं, जैसे कि घटना के दिन, सीपीआई (एम) कार्यकर्ताओं ने आईपीएफ कार्यकर्ताओं को धमकी दी, जो अ.सा–2 बादल मलिक के घर में छिप गए थे। इसके बाद, सीपीआई (एम) कार्यकर्ताओं की एक भीड़ घर के बाहर जमा हो गई, जिसमें छुपे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए आग लगा दी गई। जब उन्होंने अ.सा–9 मंटू मल के घर में छिपने की कोशिश की, तो उस घर में भी आग लगा दी गई। अंततः, आईपीएफ समर्थक भाग गए, जिस समय सीपीआई (एम) के लोगों ने उन पर हमला किया। सभी गवाह प्रत्येक विवरण पर एक जैसे/सुसंगत नहीं हो सकते हैं, जैसे कि किसने घर में आग लगाई और किसने किस हथियार से हमला किया/ मारा, आदि। यह सच हो सकता है कि उनके बयानों में मृतक माणिक हाजरा के लिंग अंगछेदन जैसी अतिशयोक्ति पाई गई हो।, जो चिकित्सीय जांच में सही सलामत पाया गया। हालाँकि, इस तरह की अलंकरण और विसंगतियाँ मामले की जड़ तक नहीं जाती हैं। इसके अतिरिक्त, हमने अभिलेख पर मौजूद सामग्री से पाते हैं कि यदि कोई सुधार थे, तो केवल उन हथियारों के संबंध में थे जिनका उपयोग हमलों में किया गया था, न कि हमलों के तथ्य के संबंध में। न्यायालय के समक्ष पहली बार किए गए सुधारों, यदि कोई हों, को निःसंदेह त्यागने की आवश्यकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि केवल उक्त आधार पर साक्षियों के पूरे साक्ष्य को नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

14. यह कानून की एक अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि किसी गवाह की गवाही को केवल अलंकरण या अतिशयोक्ति की उपस्थिति के कारण पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। फाल्सस इन उनो, फाल्सस इन ओमनिबस का सिद्धांत, जिसका अर्थ है "एक चीज में झूठ, हर चीज में झूठ" को भारतीय परिदृश्य में अनुपयुक्त माना गया है, जहां अतिशयोक्ति की प्रवृत्ति आम है। इस न्यायालय ने कई निर्णयों में सिद्धांत की अनुपयुक्तता का समर्थन किया है, निसार अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर 1957 एस. सी 366, उग्र अहीर बनाम बिहार राज्य ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 277; सुच्चा सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2003) 7 एससीसी 643: [2003] 2 पूरक। एस. सी. आर. 35; नारायण बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2004) 2 एस. सी. सी. 455 [2004] 2 एस. सी. आर. 82; कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, (2018) 6 एस. सी. सी. 433; कृष्णा मोची बनाम बिहार राज्य (2002) 6 एस. सी. सी. 81: [2002] 3 एस. सी. आर. 1 इस न्यायालय ने भारतीय परिदृश्य में सिद्धांत को लागू करने के खतरों पर प्रकाश डाला:

> 51. ...फाल्सस इन उनो, फाल्सस इन ओमनिबस, की कहावत भारत में लागू नहीं होती और गवाहों को झूठा करार नहीं दिया जा सकता। फाल्सस इन उनो, फाल्सस इन ओमनिबस (एक बात में झूठ, हर चीज में झूठ) की कहावत को सामान्य स्वीकृति नहीं मिली है और न ही यह कहावत शासन के कानून का दर्जा हासिल कर पाई है। यह महज़ सावधानी का नियम है। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे मामलों में गवाही की उपेक्षा की जा सकती है, न कि इसकी अवहेलना की जानी चाहिए। सिद्धांत में केवल साक्ष्य के महत्व का प्रश्न शामिल है जिसे एक अदालत दी गई परिस्थितियों में लागू कर सकती है, लेकिन इसे "साक्ष्य का अनिवार्य नियम" नहीं कहा जा सकता है। (**निसार अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर 1957 एस. सी 366 देखें**) विशेष रूप से भारत में यह एक खतरनाक सिद्धांत है, क्योंकि अगर गवाही के पूरे

हिस्से को खारिज कर दिया जाए, क्योंकि गवाह जाहिर तौर पर कुछ पहलुओं में झूठ बोल रहा था, तो यह डर होना चाहिए कि आपराधिक न्याय का प्रशासन एक खतरे में पड़ जाएगा। गवाह किसी कहानी को कढ़ाई देने में मदद नहीं कर सकते, भले ही वह मुख्य रूप से सच्ची क्यों न हो। इसलिए, प्रत्येक मामले में इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि साक्ष्य किस हद तक स्वीकार्यता के योग्य है, और केवल इसलिए कि कुछ मामलों में अदालत इसे गवाह की गवाही पर भरोसा करने के लिए अपर्याप्त मानती है, यह जरूरी नहीं है कि इसका पालन किया जाए। क़ानूनी तौर पर इसकी हर तरह से अवहेलना की जानी चाहिए। सबूतों को सावधानी से छांटना होगा. उपरोक्त उक्ति कोई ठोस नियम नहीं है क्योंकि किसी को शायद ही कोई ऐसा गवाह मिलता है जिसके साक्ष्य में ज़रा भी असत्य या किसी भी तरह से अतिशयोक्ति, कढ़ाई या अलंकरण न हो। (सोहराब बनाम एमपी राज्य देखें [(1972) 3 एससीसी 751: 1972 एससीसी (सीआरआई) 819] और उग्र अहीर बनाम बिहार राज्य ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 277।) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सम्मानजनक सत्कार्य रूपक के संदर्भ में, अनाज को भूसी से, सत्य को झूठ से अलग करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

15. साक्ष्य के दौरान साक्षियों द्वारा अतिशयोक्ति करना असामान्य बात नहीं है। लेकिन केवल इसलिए कि कुछ अतिशयोक्ति, सुधार और अलंकरण हैं, अभियोजन कहानी पर पूरी तरह से संदेह नहीं किया जाना चाहिए। **रणजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974) 4 एस. सी. सी. 752** में, इस न्यायालय ने कहा:

"26. यह सामान्य बात है कि जब अतिशयोक्ति और अलंकरण प्रचुर मात्रा में हों तब भी अदालतें सत्य की खोज के उद्देश्य से फोरेंसिक अभ्यास कर सकती हैं और वास्तव में उनसे अपेक्षा की जाती है। तथ्य यह है कि इस घटना में बड़ी संख्या में लोगों को फंसाया गया था, जो अब उच्च न्यायालय द्वारा बरी कर दिए गए हैं, उच्च न्यायालय को रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की सराहना करने और जो विश्वसनीय नहीं था उसे त्यागने से की आवश्यकता नहीं थी, जबकि जो प्रेरित आत्म्विश्वास था उसे स्वीकार करना और उस पर भरोसा करना चाहिए। यह अभ्यास वैध था अन्यथा न्यायालय को विकृतियों और/या अलंकरणों के सामने झुकने और आत्मसमर्पण करने के रूप में देखा जाएगा, चाहे वह कड़वाहट से या संबंधित एजेंसियों द्वारा घटिया जांच सहित किसी अन्य कारण से किया गया हो। न्यायालय की अंतिम खोज हर समय "सत्य की खोज" ही रहती है और जब तक न्यायालय किसी दिए गए मामले में उस अभ्यास में आने वाली कठिनाई से इतना निराश नहीं हो जाता है, कि उसके लिए उस उद्देश्य को आगे बढ़ाना असंभव नहीं हो जाता है**,** उस समय तक उस दिशा में अवश्य ही एक प्रयास करना चाहिए।

पंजाब राज्य बनाम हरि सिंह (1974) 4 एस. सी. सी. 552 में इस प्रकार देखा गया:

"16. चूंकि मानवीय गवाही आवश्यक रूप से दोषपूर्ण होती है और यहां तक कि सच्चे गवाह भी कभी–कभार अतिशयोक्ति करते हैं या कल्पना करते हैं या आधा सच बताते हैं, जो अवलोकन और विवरण की व्यापक रूप से भिन्न शक्तियों से उत्पन्न होती है, न्यायालयों को पूरे साक्ष्य से सच्चाई के कठोर मूल को निकालने और अलग करने का प्रयास करना चाहिए। इस कहावत का यही मतलब है कि न्यायालयों को "अनाज से भूसी" को अलग करना होगा। यदि,

सबूतों के पूरे समूह पर विचार करने के बाद, अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी उचित संदेह से परे स्वीकार्य सत्य का अवशेष स्थापित किया जाता है, तो "किसी भी उचित संदेह से परे इससे निकलने वाले परिणाम को प्रभावी बनाने के लिए न्यायालय बाध्य हैं और इसे विशुद्ध रूप से काल्पनिक और अनुमानित आधार पर पूरी तरह खत्म नहीं कर देती हैं।"

16. इस प्रकार, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता कि अनाज से भूसी को अलग करना न्यायालय का कर्तव्य है। इसके अलावा, सबूतों में मामूली बदलाव मामले की जड़ को प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह के छोटे बदलावों को प्रमुख महत्व देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे समग्र रूप से चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य विश्वसनीयता को भौतिक रूप से नहीं बदलेंगे।

17. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, प्रथम दृष्टया, हम अभिलेख से पाते हैं कि चश्मदीद गवाहों के बयान को अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है, खासकर मसल्टी के मामले में इस न्यायालय की टिप्पणी के आलोक में, मामले में कम से कम 24 घायल चश्मदीद गवाह हैं और उनकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। इस स्थिति में, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित करने में अपने न्यायिक दिमाग का उपयोग नहीं किया है कि क्या विचारण न्यायालय का निर्णय विकृत था क्योंकि पूरे साक्ष्य को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि कुछ साक्षियों ने न्यायालय के समक्ष पहली बार साक्ष्य दी थी।

18. दिलचस्प बात यह है कि उच्च न्यायालय ने हत्या के अलावा अन्य आरोपों से संबंधित साक्ष्य पर बिल्कुल विचार नहीं किया है। हालाँकि, आरोप घरों को जलाने, गैरकानूनी आदि जैसे प्रश्नों पर बनाए गए थे। लेकिन इन प्रश्नों पर साक्ष्य की पूरी तरह से अनदेखी की गई थी और विचारण न्यायालय के साथ–साथ उच्च न्यायालय द्वारा भी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया था। उदाहरण के लिए, विचारण न्यायालय ने घरों को जलाने से संबंधित पूरे साक्ष्य की केवल इस आधार पर कि जली हुई वस्तुओं को अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया था, अनदेखी की है। दूसरी ओर, हम अभिलेखों से पाते हैं कि जली हुई वस्तुओं को जब्त कर लिया गया था और न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जैसा कि जब्ती सूची (उदा. 1) से स्पष्ट है।

19. जहां तक गैरकानूनी सभा के मुद्दे और गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य का सवाल है, न्यायालय आम तौर पर अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर उन पहलुओं का निर्धारण कर सकती है। मामले में 36 चश्मदीद साक्षी मौजूद हैं. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, सभी आरोपी एक समूह में अ.सा– 2, बादल मलिक और अ.सा– 9, मंटू मल के घर आए और इन घरों को आग लगा दी, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि आईपीएफ पार्टी के लोग उन घरों में इकट्ठे हुए थे। प्रथम दृष्टया, न्यायालय इस साक्ष्य से गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य की कल्पना कर सकता है। न्यायालय अभियोजन पक्ष से यह अपेक्षा नहीं कर सकता है कि वह गैरकानूनी सभा और सामान्य उद्देश्य के संबंध में अलग–अलग साक्ष्य पेश करके अपना मामला साबित करेगा। यदि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर उन कारकों का पता लगाया जा सकता है, तो न्यायालयों को इसकी अनदेखी किये जाने का कोई कारण नहीं है।

20. उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार न करने से, जिसके बिना न्यायालय के समक्ष एक प्रश्न का संतोषजनक ढंग से निर्धारण नहीं किया जा सकता था, गंभीर और ठोस प्रकृति का अन्याय हुआ है, जिसके कारण इस न्यायालय को हस्तक्षेप करना और मामले को दोबारा सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय वापस भेजना आवश्यक हो गया है। हमने पाया है कि उच्च न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा है कि क्या विचारण न्यायालय ने हत्या, हत्या के प्रयास

और गंभीर चोट के मुद्दे से संबंधित भौतिक सबूतों को खारिज कर दिया था, और घर जलाने, गंभीर चोट और गैरकानूनी सभा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भौतिक सबूतों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। इस प्रकार, इस पहलू में भी, उच्च न्यायालय यह सत्यापित करने के लिए अपने न्यायिक दिमाग का उपयोग करने में विफल रहा है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति का निर्णय विकृत था या नहीं।

21. हमारी सुविचारित राय में, नेत्र साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य के बीच विरोधाभास के संबंध में, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है कि हमला करते समय तेज धार वाले हथियारों के साथ–साथ लाठियों का भी इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा, अब तक यह अच्छी तरह से तय हो चुका है कि मेडिकल साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्षियों के साक्ष्य पर हावी नहीं हो सकता है। यदि नेत्र संबंधी गवाही और चिकित्सीय साक्ष्य के बीच कोई विरोधाभास है, तो स्वाभाविक रूप से नेत्र संबंधी साक्ष्य प्रबल होती है। दूसरे शब्दों में, जहां चश्मदीद साक्षियों के बयान भरोसेमंद और विश्वसनीय पाए जाते हैं, वैकल्पिक संभावनाओं की ओर इशारा करने वाली चिकित्सा राय को निर्णायक नहीं माना जाता है **[उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कृष्ण गोपाल (1988) 4 एस. सी. सी. 303]**। हम इस स्तर पर मामले की गुण–दोष पर आगे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते क्योंकि मामले को उच्च न्यायालय में प्रेषित करने की आवश्यकता है।

22. उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई ठोस कारण नहीं बताया है। हम इस तथ्य से अगवत हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए, जहां विचारण न्यायालय के फैसले में न्याय का घोर उल्लंघन, स्पष्ट अवैधता या विकृति हो। जब विचारण न्यायालय के फैसले में कोई स्पष्ट अवैधता हो, तभी हस्तक्षेप उचित होगा। लेकिन हमारी सुविचारित राय में इस मामले में, विचारण न्यायालय द्वारा अपने निष्कर्ष पर पहुंचते समय वैध कारण प्रस्तुत न करने के कारण, स्पष्ट रूप से अवैधता है, और इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को उचित नहीं कहा जा सकता है। जब कोई स्पष्ट दोष या स्पष्ट त्रुटि होती है जिसके कारण न्याय की घोर विफलता होती है, तो यह न्यायालय केवल पहलुओं पर अपनी आँखें बंद नहीं कर सकता है, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय में निहित पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से प्रयोग नहीं किया गया है। हमारी सुविचारित राय में ,उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय के फैसले की पुष्टि करते समय लापरवाही से आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। अभिलेख पर मौजूद सामग्री को ध्यान में रखते हुए और अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण याचिका पर विचार करते समय अधिक गंभीर होना चाहिए था।

23. **शीतला प्रसाद बनाम श्री कांत (2010) 2 एससीसी 190** के मामले मे, इस न्यायालय ने उन सिद्धांतों पर ध्यान दिया, जिन पर पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। इस न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

> 12. उच्च न्यायालय एक निजी शिकायतकर्ता के कहने पर पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहा था और इसलिए, उन सिद्धांतों पर ध्यान देना आवश्यक है जिन पर ऐसे पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 की उपधारा (3) दोषमुक्ति के निष्कर्ष को दोषसिद्धि में बदलने पर रोक लगाती है। श्रेणियों को विस्तृत किए बिना, निजी शिकायतकर्ता के उदाहरण पर उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है

(1) जहां विचारण न्यायालय ने गलत तरीके से साक्ष्य को बंद कर दिया है जो अभियोजन पक्ष पेश करना चाहता था,

(2) जहां स्वीकार्य साक्ष्य गलत है अस्वीकार्य के रूप में खारिज कर दिया गया,

(3) जहां विचारण न्यायालय के पास मामले की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और फिर भी आरोपी को बरी कर दिया गया है,

(4) जहां विचारण न्यायालय या अपीलीय अदालत द्वारा भौतिक साक्ष्य की अनदेखी की गई है या अप्रासंगिक सबूतों पर विचार करके आदेश पारित किया गया है, और

(5) जहां दोषमुक्ति उस अपराध के शमन पर आधारित है जो कानून के तहत अमान्य है।

13. अब तक, यह अच्छी तरह से तय हो चुका है कि पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग हल्के ढंग से नहीं किया जा सकता है, जब एक निजी शिकायतकर्ता द्वारा दोषमुक्त किए जाने के आदेश के खिलाफ लागू किया जाता है, इसका प्रयोग केवल असाधारण मामलों में किया जा सकता है जहां प्रकट अवैधता या न्याय की घोर विफलता की रोकथाम और सार्वजनिक न्याय के हित में सुधार के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। । इन मामलों में, या समान प्रकृति के मामलों में, अपील पर पुनः विचारण या पुनः सुनवाई का आदेश दिया जा सकता है।"

24. उपरोक्त निर्णय से, यह स्पष्ट है कि जहां विचारण न्यायालय या अपीलीय न्यायालय द्वारा भौतिक साक्ष्य की अनदेखी की गई है या अप्रासंगिक साक्ष्य पर विचार करके आदेश पारित किया गया है, वहां पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। मौजूदा मामले में, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, विचारण न्यायालय द्वारा भौतिक साक्ष्यों को नजरअंदाज कर दिया गया है और उच्च न्यायालय का यह कहना गलत था कि गवाहों ने पहली बार अदालत के समक्ष गवाही दी है। हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि मुख्य रूप से इस्तेमाल किए गए हथियारों के संबंध में विरोधाभास और सुधार मामूली प्रकृति के थे। दिलचस्प बात यह है कि अदालतों ने पाया कि ये चोटें भगदड़ में लगी होंगी। इस बात का कोई कारण नहीं है कि कथित भगदड़ में, यदि कोई हो, तो कथित भगदड़ मे केवल एक समूह के लोगों को ही चोटें क्यों लगेंगी। इस प्रकार, भगदड़ का सिद्धांत भी प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उत्तरवादी के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता है। इसके अलावा, हत्या के अलावा अन्य आरोपों से संबंधित भौतिक साक्ष्यों को भी नजरअंदाज कर दिया गया है।

25. इस प्रकार, उच्च न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा है कि क्या विचारण न्यायालय ने चश्मदीद साक्षियों की साक्ष्य के रूप में भौतिक साक्ष्य को खारिज कर दिया था और हत्या, हत्या के प्रयास, गंभीर चोट के मुद्दों पर, गैरकानूनी सभा और घर जलाने जैसे अन्य आरोपों पर सबूतों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। नतीजतन, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने एक तर्कसंगत निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अभिलेख साक्ष्य पर उचित विचार नहीं किया है और इस प्रकार स्थापित सिद्धांतों के अनुसार अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफल रहा है। हमारी राय में, उच्च न्यायालय के लिए यह उचित होगा कि वह न्यायिक दिमाग के उचित अनुप्रयोग के साथ एक बार फिर मामले की सामग्री पर उचित विचार करे ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या विचारण न्यायालय के आदेश से न्याय की घोर विफलता, स्पष्ट अवैधता या विकृति हुई है।

26 मामले को समाप्त करने से पहले, हम यह जोड़ना चाहते हैं कि इस आदेश में की गई कोई भी टिप्पणी गुणवत्ता के आधार पर पुनरीक्षण याचिका पर निर्णय लेने में उच्च न्यायालय को प्रभावित नहीं

करेगी। इन टिप्पणियों के साथ, अपील स्वीकार की जाती है, सीआरआर संख्या 765/2002 में पारित उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 30.06.2004 को रद्द किया जाता है और मामले को गुण–दोष के आधार पर विधि अनुसार पुनरीक्षण याचिका पर निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय को भेजा जाता है।

अपील स्वीकार की जाती है।

विरेन्द्र